

27.11.19

पत्रावली पेशी चकील वादी रुक करीब
अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन बार
आवाज लगावाई गई बावजूद इसके कोई
उपस्थित नहीं। इससे प्रतीत होता है कि
वादी एवं चकील वादी अपने दावे को लेकर
गंभीर नहीं हैं अतः दावा अदमहाजिरी
अदम पैरवी में इसी स्तर पर छोड़ि
दिया जाता है। पत्रावली फॉलो
अपुमार होकर नंबर से कम की जाकर
दाखिल पत्रार हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट टेक) सांचौर (जालोर)

